यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,
(म0प्र0)

1— शुकुल पिता बुद्धू अहिर

2— छोटेलाल पिता बुद्धू अहिर

दोनों निवासी कोड़रिया तह0 देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

————आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

शम्भू पिता लालजी अहिर निवासी कोड़रिया तह0 देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 55 / निगरानी / 2010 –11 आदेश दिनांक 27.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :–

यह कि प्रकरण कमांक 350 / अ–19(1) / 98–99 आदेश दिनांक 26.05.99 के अनुसार आवेदकगण के पक्ष में आराजी नम्बर 150 रकवा 0.20, 154 रकवा 0.34, 129 रकवा 0.71, 126 रकवा 0.10, 128 रकवा 0.12, 130 रकवा 0.03, 131 रकवा 0.14, 132

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(65)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2017/3868

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 55/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	